न्यायालयः—संध्या गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर (म.प्र.)

1- Registration No- RCT/6787/2019
2- Filing No.- RCT/26806/2019
3- C.N.R. No.- MP2001-034960-2019
4- Filing Date.- 24-10-2019

आरक्षी केन्द्र बेलबाग, जिला जबलपुर (म.प्र.) के अपराध कमांक 621/2017 अपराध अंतर्गत धारा 294, 323 विकल्प में 323 सहपठित धारा 34 तथा धारा 506 भाग—2 भा. द.वि. से उद्भूत प्रकरण।

मध्यप्रदेश द्वारा आरक्षी केंद्र बेलबाग
जिला—जबलपुर (म.प्र.) ....**अभियोजन**

(प्रतिनिधित्व द्वारा श्री बृजेश असाटी ए.डी.पी.ओ.)

—:: विरुद्ध ::—

01. अमन पिता श्री केदार उर्फ पप्पू मेहतो, उम्र 21 वर्ष,
02. सागर उर्फ रौनक पिता श्री केदार मेहतो उम्र 19 वर्ष

दोनों निवासी अनिल दुबे अस्पताल की पीछे बेलबाग
जिला जबलपुर म.प्र.।

.....................**अभियुक्तगण**

(प्रतिनिधित्व द्वारा श्री निरंजन श्रीवास्तव अधिवक्ता)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अपराध की तिथि	15.10.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	16.10.2019
अभियोग पत्र प्रस्तुति की तारीख	21.10.2019
आरोपों के विरचना की तारीख	20.01.2020
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	10.06.2020

Sandhya
28/7/26

(संध्या गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

RCT NO. ~~1161/2017~~ 6787/2019

शासन विरूद्ध अमन मेहतों व अन्य

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	28.07.2026
निर्णय की तिथि	28.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, कि तिथि	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1.	अमन मेहतो	18.10.2019	18.10.2019	धारा 294 भा.द.वि.	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक
2.	सागर उर्फ रौनक	18.10.2019	18.10.2019		दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.01	ललीता महोबिया	फरियादी साक्षी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :—

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 02	नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी 03	साक्षी ललिता महोबिया का पुलिस कथन

Amelhya 28/7/26

(सौम्या गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

जबलपुर (म.प्र.)

6787/2019
RCT NO.~~1161/2017~~
शासन विरूद्ध अमन मेहतों व अन्य

—:: निर्णय ::—
(आज दिनांक 28.07.2026 को घोषित)

01. **अभियुक्त अमन मेहतो एवं सागर उर्फ रौनक मेहतो** पर धारा 294, 323 विकल्प में 323 सहपठित धारा 34 तथा धारा 506 भाग—2 भा.द.वि. के अंर्तगत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.10.2019 को समय लगभग 20:30 बजे आरक्षी केन्द्र बेलबाग अंतर्गत डॉ. अनिल दुबे के पीछे घमापुर में लोक स्थान पर अथवा उसके समीप ललिता महोबिया पति सरेश महोबिया के प्रति अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण में अभियुक्तगण तथा आहत ललिता महोबिया के मध्य राजीनामा होना व्यक्त करते हुए अनुमति चाही, जिसमें धारा 323 सहपठित धारा 34, 506 (भाग—2) भा.द.वि. के अंतर्गत अभियुक्तगण को आज दिनांक 28.07.2026 द्वारा राजीनामा के आधार पर आहत के संबंध में धारा 294, 323 सहपठित धारा 34, 352 सहपठित धारा 34, 506 (भाग—2) भा.द.वि. में दोषमुक्त किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 भा.द.वि. का विचारण पूर्ववत् जारी रहा।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2019 को गोपी किराना के सामने अमन और उसका छोटा भाई उसे ताने कश कर रहे थे मैने मना किया तो दोनों मुझे गाली गुप्तार बकने लगे तथा अमन एवं उसके भाई ने मुझे लाठी से मारा जिससे मुझे कमरमें एवं दाहिने हाथ की कलाई मे चोट लगी थी तथा जान से मरने की धमकियां मुझे लगातार देते रहे और परेशान करते रहे। घटना को उसकी भतीजी आरती एवं मोहल्ले के लोगों ने देखा सुना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 294, 323 विकल्प में 323 सहपठित धारा 34 तथा 506 (भाग—02) भा.द.वि. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का मुलाहिजा कराया गया, घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया, साक्षियों के कथन लिए गए एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण को निर्णय के पैरा क्रमांक 01 में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाए जाने पर उन्होंने अपराध किया जाना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्यगत परिस्थितियां अभिलेख पर न होने से उनका परीक्षण नहीं किया गया।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न लिखित विचारणीय प्रश्न हैः—

28/7/26
(... गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

1. ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.10.2019 को समय लगभग 20:30 बजे आरक्षी केन्द्र बेलबाग अंतर्गत डॉ. अनिल दुबे के पीछे घमापुर में लोक स्थान पर अथवा उसके समीप ललिता महोबिया पति सरेश महोबिया के प्रति अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का निराकरण

06. प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी ललिता महोबिया अ.सा. 01 जो कि आहत होकर फरियादी है, ने न्यायालयीन कथन किया है कि वह आरोपीगण अमन एवं सागर को जानता पहचानता है, वे उसके मोहल्ले में रहते है। घटना आज से लगभग 7–8 वर्ष पुरानी होकर लगभग 08–9 बजे की गोपी किराना के पास की है घटना दिनांक को उसका एवं अभियुक्तगण से किसी बात को लेकर मामूली वाद विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मे आकर में लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किए थे।

07. साक्षी अ0सा. 1 द्वारा अभियोजन मामले का पूर्ण से समर्थन नहीं किये जाने से पक्षद्रोही घोषित कर उससे पूछे गये सूचक प्रश्न से स्पष्ट से इंकार किया कि घटना दिनांक 15.10.2019 को रात्रि 08:30 बजे गोपी किराने दुकान के पास अमन एवं सागर ने उसे ताने मारते हुये गाली गलौच की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उक्त कथन पुलिस को दिये जाने इंकार किया कैसे लेख कर लिया कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत कि वह राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन रही है।

08. अभिलेख पर उपस्थित अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि फरियादी अ.सा.01 ललिता महोबिया ने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उसे गंदी–गंदी गालियां दिये जाने से इंकार किया होकर अभिलेख पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर क्षोभ कारित किए जाने एवं महत्वपूर्ण तात्विक साक्ष्य का लोप है। वहीं उक्त समस्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन के समस्त सूचक प्रश्नों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में स्वयं आहत/फरियादी साक्षी द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र संपोषक साक्ष्य है, जिसे प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अभिलेख पर

Sandhya 28/7/26
(संध्या मर्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के तथ्य भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से धारा 294 भा.द.वि. के अपराध को अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं किया है।

09. इस प्रकार अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 15.10.2019 को समय लगभग 20:30 बजे आरक्षी केन्द्र बेलबाग अंतर्गत डॉ. अनिल दुबे के पीछे घमापुर में लोक स्थान पर अथवा उसके समीप ललिता महोबिया पति सरेश महोबिया के प्रति अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया? फलतः **अभियुक्त अमन एवं सागर उर्फ रौनक** को धारा **294 भा.द.वि.** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

10. अभियुक्तगण के जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

12. अभियुक्तगण का निरोध अवधि के संबंध में पृथक से धारा 428 भा.द.वि. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया। गया।

Sandhya 28/7/26

(संध्या गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला जबलपुर (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया

Sandhya 28/7/26

(संध्या गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला जबलपुर (म.प्र.)